

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग


क्रमांक: प. 7(108)परि/नियम/मु./2010/22169 जयपुर, दिनांक: 02/12/2020

कार्यालय आदेश संख्या 25/2020

विषय:- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत वाहनो के पंजीयन के संबंध में।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.06.89, 22.04.91, 15.07.94, 06.08.96, 25.09.97, 25.11.97, 05.06.99, 18.08.99, 22.11.2005, 23.01.2012, 19.07.2013, 14.06.2018 की निरन्तरता में, निम्न तालिका में उल्लेखित, राज्य में नवगठित जिला परिवहन कार्यालय के पंजीयन अधिकारी को केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, राजस्थान राज्य के वाहनो को पंजीयन करने हेतु आवंटित शब्द समूह RJ के पश्चात् उनके पद नाम के सम्मुख अंकित पंजीयन कोड आवंटित किया जाता है।

क्र. स.	कार्यालय	पंजीयन अधिकारी	पंजीयन कोड
1.	जिला परिवहन कार्यालय, पीपाड शहर	पंजीयन अधिकारी, पीपाड शहर	RJ54


(आर.सी.यादव)

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक:-प. 7(108)परि/नियम/मु./2010/22170-75 जयपुर, दिनांक: 02/12/2020
प्रतिलिपि:

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी।
5. सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपडेट करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


अपर परिवहन आयुक्त (नियम)